"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2009—भाद्र 26, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 6522/2251/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 700/II-2-1/2009/गोप./2009 बिलासपुर दिनांक 16-9-2009 के अनुपालन में श्री गौतम चौरड़िया, सदस्य सचिव (Member Secretary), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की सेवायें उक्त प्राधिकरण से वापस लेते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.